अभिलेखी प्राकृत M.A. Sem-II CC-8

सम्राट अशोक के स्तम्भ लेखों का सारांश प्रस्तुत करें।
or सामान्य परिचय प्रस्तुत करें।

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, धार्मिक एवं पुरातत्व के अध्ययन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय स्तम्भ लेखों का विशेष महत्व है। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी यह कम महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि हम प्राचीन भारतीय सभ्यता के इतिहास को प्रमाणिक अध्ययन के लिए प्राकृत के प्रमुख स्तम्भलेखों का अध्ययन आवश्यक है।

सम्राट अशोक ने प्रथम स्तम्भ लेख में उसने इहलौकिक और पारलौकिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उच्चतम या उत्तम धर्मानुराग, आत्म परीक्षा, परसेवा, भय एवं उत्साह को आवश्यक बताया है और कहा है कि लोग उसके अनुशासन से इस बातों का पालन कर आदर एवं अनुराग में वृद्धि का जिज्ञासा बना रहे। इस प्रकार इस स्तम्भ लेख में अशोक ने धर्म द्वारा प्रजा का पालन रूपी अपने विचारों को उत्कीर्ण कराया है।

द्वितीय स्तम्भ लेख में सम्राट अशोक ने बड़े ही सुन्दर ढंग से संक्षेप में धर्म के परिभाषा पर प्रकाश डाला है तथा अपने द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया है तथा कहा है कि सभी लोग इसका अनुकरण करें। अशोक ने इस स्तम्भलेख में कहा है कि धर्म उत्तम है किन्तु क्या है इसके बारे में कहा है कि कम से कम पाप करना तथा बहुत अधिक कल्याणकारी कार्य करना, दया, दान, सत्य एवं पवित्रता का भावना मन में रखना।

अशोक ने तृतीय स्तम्भ लेख में आत्मानुशासन पर बल दिया है। अशोक का संदेश है कि मनुष्य अपने द्वारा किये गये अच्छे कर्मों को तो देखता पर बुरे कर्मों अर्थात पापों को नहीं देखता है किन्तु इसे भी देखना चाहिए क्योंकि ये पाप की ओर ले जाने वाले होते हैं जैसे क्रोध, मान, ईर्ष्या। वस्तुतः अपने कर्मों को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि यह कार्य इहलोक और परलोक के लिए अच्छा है या नहीं।

चतुर्थ स्तम्भ लेख में अपने अधिकारियों के कार्यों का उल्लेख किया है इसके अन्तर्गत उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या की गयी है तथा अपनी आज्ञा को सर्वोत्तम बताया है और कहा है कि रज्जुको का प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा धाय और शिशु के बीच होता है अर्थात उनका कर्तव्य प्रजा की सुख-सुविधा का ध्यान रखना है, इस दृष्टि से अशोक ने न्याय की प्रक्रिया और दण्ड देने में भेद-भाव न करने की बात कही है कैदियों के प्रति किये जानेवाले व्यवहारों का भी उल्लेख किया गया है इसके अनुसार बन्धन और मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदियों को अपनी सजा के प्रति पुनर्विचार की अपील करने के लिए तीन दिनों का

Scanned with CamScanner

समय दिया जाता था। दण्डित व्यक्तियों के प्रति अशोक का ध्यान रहता था। वह कैदियों को सजा माफी हेतु दान एवं उपवास करने का सुझाव देता था ताकि सजा समाप्त कर परलोक का लाभ पा सके, तथा जनता पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े।

सम्राट अशोक ने पंचम स्तम्भ लेख में जीव हिंसा पर प्रकाश डाला है, उसने कुछ जीवों पर हत्या करने को रोक भी लगा दिया था। इस प्रकार इस शासन के द्वारा जीव हिंसा को नियंत्रित किया गया है। उसने कहा है कि जीव से जीव का शोषण नहीं होना चाहिए।

षष्ठम स्तम्भ लेख में अशोक ने अपने धर्मलेख लिखवाने का प्रयोजन को बताते हुए कहा है कि मैंने लोक के हित और सुख के लिए यह धर्मलेख लिखवाई है। राजा प्रजा के बीच के सम्बन्ध के विषय में अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है और सप्तम स्तम्भलेख में अशोक ने धर्मानुशासन वरतने का निश्चय किया ताकि जनता उन्हें जान-सुनकर उनका अनुसरण करें इसके लिए उसने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की। साथ ही धर्म स्थापित किये, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की तथा धर्म की घोषणा करायी, सार्वजनिक हित हेतु सड़कों पर छायादार वृक्ष लगवाये तथा कुएँ खुदवाये आदि अनेक कार्य किये।

अत: निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक धर्म के विशिष्ट गुणों का व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार पालन करना चाहिए, इसकी चर्चा बार-बार अपने स्तम्भ लेखों में किया है अत: अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस धर्म का प्रचार किया है वह सार्वभौमिक का सार कहा जा सकता है

Scanned with CamScanner